प्रेषक,

निदेशक,
पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः–5/1887/2024–5/127/2018 SBM(G) लखनऊ दिनांकः 20 दिसम्बर, 2024

विषयः–ग्राम पंचायतों में निर्मित सामुदायिक शौचालयों को नियमित रूप से खोले जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या–1758/33–3–2020–31/2019 दिनांक 15 जुलाई, 2020 के माध्यम से इन शौचालयों के रख–रखाव हेतु की गई व्यवस्था के विस्तृत निर्देश भी निर्गत किये गये हैं। मिशन कार्यालय के पत्र संख्या–5/05/2022–5/127/2018 दिनांक 06.01.2022 के द्वारा निर्मित सामुदायिक शौचालयों के खोले जाने हेतु समय निर्धारित करते हुए नियमित रूप से खोले जाने के निर्देश दिये गये हैं।

आप अवगत ही हैं कि स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) फेज–2 योजनान्तर्गत प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण तथा उनका व्यवस्थित रख–रखाव किया जाना भारत सरकार एवं राज्य सरकार के प्राथमिकता का विषय है।

उच्च स्तर पर यह तथ्य संज्ञान में आया है कि कतिपय ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों को उचित समय पर नहीं खोला जाता है, जिससे ग्रामीणवासियों को समस्या उत्पन्न होती है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि ग्राम पंचायतों में निर्मित सामुदायिक शौचालयों को प्रातः 05:00 बजे से 10:00 बजे तक तथा सायं 04:00 बजे से 08:00 बजे तक अनिवार्य रूप से खोला जाये। साथ ही यदि आवश्यकता हो तो स्थानीय प्रयोग के दृष्टिगत उक्त निर्धारित समय के बाद भी खुला रखा जा सकता है। जनपद स्तर से सामुदायिक शौचालय के नियमित रूप से खोले जाने का अनुश्रवण करना भी सुनिश्चित करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(अटल कुमार राय)
निदेशक,
पंचायतीराज, उ0प्र0।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
5. समस्त मण्डलीय उप निदेशक(पं0), उ0प्र0।

निदेशक,
पंचायतीराज, उ0प्र0।

प्रेषक,

निदेशक,

पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः—5 / 1887 / 2024—5 / 127 / 2018 SBM(G) लखनऊ दिनांकः 20 दिसम्बर, 2024

विषयः—ग्राम पंचायतों में निर्मित सामुदायिक शौचालयों को नियमित रूप से खोले जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या—1758 / 33—3—2020—31 / 2019 दिनांक 15 जुलाई, 2020 के माध्यम से इन शौचालयों के रख—रखाव हेतु की गई व्यवस्था के विस्तृत निर्देश भी निर्गत किये गये हैं। मिशन कार्यालय के पत्र संख्या—5 / 05 / 2022—5 / 127 / 2018 दिनांक 06.01. 2022 के द्वारा निर्मित सामुदायिक शौचालयों के खोले जाने हेतु समय निर्धारित करते हुए नियमित रूप से खोले जाने के निर्देश दिये गये हैं।

आप अवगत ही हैं कि स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) फेज—2 योजनान्तर्गत प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण तथा उनका व्यवस्थित रख—रखाव किया जाना भारत सरकार एवं राज्य सरकार के प्राथमिकता का विषय है।

उच्च स्तर पर यह तथ्य संज्ञान में आया है कि कतिपय ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों को उचित समय पर नहीं खोला जाता है, जिससे ग्रामीणवासियों को समस्या उत्पन्न होती है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि ग्राम पंचायतों में निर्मित सामुदायिक शौचालयों को प्रातः 05:00 बजे से 10:00 बजे तक तथा सायं 04:00 बजे से 08:00 बजे तक अनिवार्य रूप से खोला जाये। साथ ही यदि आवश्यकता हो तो स्थानीय प्रयोग के दृष्टिगत उक्त निर्धारित समय के बाद भी खुला रखा जा सकता है। जनपद स्तर से सामुदायिक शौचालय के नियमित रूप से खोले जाने का अनुश्रवण करना भी सुनिश्चित करें।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(अटल कुमार राय)
निदेशक,
पंचायतीराज, उ0प्र0।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
5. समस्त मण्डलीय उप निदेशक(पं0), उ0प्र0।

निदेशक,
पंचायतीराज, उ0प्र0।

संख्या– 1758/33–3–2020–31/2019

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 15 जुलाई, 2020

विषयः–ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक शौचालयों के रख–रखाव के सम्बन्ध में।

महोदय,

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत बड़ी संख्या में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण–।।) में एक सामुदायिक शौचालय के निर्माण पर रू. 03 लाख की धनराशि अनुमन्य है। कई जनपदों में इससे अधिक लागत के, बेहतर मानक के बड़े सामुदायिक शौचालयों का निर्माण भी किया जा रहा है। सामुदायिक शौचालयों के निर्माण में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री की उच्च कोटि की गुणवत्ता कालान्तर में सामुदायिक शौचालयों के रख–रखाव की लागत को कम करने में मदद करेगी। सामुदायिक शौचालयों के निर्माण पर प्रदेश में एक बड़ी धनराशि व्यय की जा रही है। ऐसे में सामुदायिक शौचालयों का नियमित प्रयोग हो और जिस उद्देश्य के साथ इसका निर्माण किया जा रहा है उस उद्देश्य की पूर्ति हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि सामुदायिक शौचालयों की नियमित सफाई और रख–रखाव की अच्छी व्यवस्था बनाई जाय।

2– सामुदायिक शौचालयों की नियमित सफाई और रख–रखाव सुगमता के साथ हो सके, इसके लिए यह आवश्यक है कि पर्याप्त जल की उपलब्धता वहां सुनिश्चित हो। अच्छा होगा कि वहाँ रनिंग वाटर टैप की व्यवस्था बनायी जा सके।

3– सामुदायिक शौचालय उन परिवारों द्वारा प्रयोग किये जा सकते हैं जो किन्हीं कारणवश निजी मकान में व्यक्तिगत शौचालय निर्मित नहीं करा पाये हैं, ऐसे व्यक्ति व परिवार जो फ्लोटिंग पापुलेशन के रूप में हैं एवं अन्य ग्रामीण जनता भी इनका प्रयोग कर सकती है।

4– अगर ग्राम पंचायत में एक सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया जा रहा है तो उसे महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए अगर दो सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है तो ऐसी दशा में एक महिला व एक पुरूष के लिए आरक्षित किया जा सकता है। अगर किसी कारणवश एक ही सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया जा रहा है तो यह सुनिश्चित किया जाय कि पुरूष व महिला के लिये अलग–अलग प्रवेश व निकास द्वार हो। सामुदायिक शौचालय पर किये जा रहे निवेश को सार्थक बनाये रखने के लिए रख–रखाव की उचित व्यवस्था

Amit Srl.

Scanned by CamScanner

अत्यन्त ही आवश्यक है। इसी क्रम में यह निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं। एक सामुदायिक शौचालय के रख–रखाव के लिए निम्न व्यवस्था अनुमन्य होगीः–

क्रम सं0	रखरखाव एवं मरम्मत हेतु मद	कार्य विवरण	मासिक राशि
1	सफाई कर्मी / केयर टेकर	दिन में कम से कम दो बार सफाई	रूपये 6000 प्रतिमाह
2	मरम्मत	बिजली, प्लंबिंग, नल व टोटी, मरम्मत	रूपये 500 प्रतिमाह
3	साफ–सफाई की सामग्री	झाड़ू, ब्रश, वाईपर, स्पंज, कपड़े पोछा, बाल्टी, मग आदि।	1200 रू0 (6 माह में एक बार)
4	निःसंक्रामक सामग्री	साबुन, वांशिग पाउडर, एयरफ्रेशनर, ग्लब्स, हारपिक, मास्क, दस्ताने एप्रेन।	रूपये 1000 प्रतिमाह
5	यूटिलिटी चार्जेज	पानी, बिजली, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट	रूपये 1000 प्रतिमाह
6	अन्य		रूपये 300 प्रतिमाह
कुल व्यय प्रतिमाह			9,000 / –

5– सामुदायिक शौचालयों के रख–रखाव हेतु धनराशि की व्यवस्था 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि जो स्वच्छता व सैनिटाइजेशन के लिये आरक्षित है, उससे की जाएगी। उपरोक्त धनराशि की अनुपलब्धता व कमी की दशा में राज्य वित्त आयोग से धनराशि की व्यवस्था की जाएगी।

6– सामुदायिक शौचालयों के रख–रखाव का यह कार्य व दायित्व स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सुनिश्चित करने की पहली प्राथमिकता होगी। ग्राम पंचायतों में निकटस्थ स्थित स्वयं सहायता समूह से वार्ता कर उन्हें यह जिम्मेदारी ग्राम पंचायत द्वारा लिखित रूप से सौंपी जाएगी और सफाई कर्मी को तैनात करने से लेकर, सफाई आदि की व्यवस्था स्वयं सहायता समूह द्वारा की जाएगी। इस कार्य पर होने वाला पूरे वर्ष का व्यय अधिकतम 02 किश्तों में पहला–प्रारम्भिक माह में एवं दूसरी किश्त 06 माह के बाद बराबर किश्तों में स्वयं सहायता समूह को ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। यदि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूह उपलब्ध नहीं हैं, तो ग्राम पंचायतों द्वारा सीधे सफाई कर्मचारी को रखते हुए शौचालय के रख–रखाव की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। महिला के लिए आरक्षित शौचालय में सफाई व केयर टेकर के रूप में महिला कर्मी तथा पुरूष के लिए आरक्षित शौचालय में इस कार्य के लिए पुरूष कर्मी तैनात किए जाऐंगें।

Amit Srl.

Scanned by CamScanner

7— स्वयं सहायता समूह एवं कर्मचारियों की भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियाँ :—

स्वयं सहायता समूहः	**सफाई शेड्यूलः**
✓ संचालन एवं रख—रखाव और सुविधाओं का देखभाल।	✓ दिन में दो बार
✓ पहले आओ—पहले पाओ के आधार पर नियम का प्रयोग करें।	
✓ सफाई सामग्री और उपकरण उपलब्ध कराना।	
✓ शिकायत रजिस्टर को बनाए रखना।	
सफाई कर्मी की भूमिकाः	
✓ दिन—प्रतिदिन की सफाई गतिविधियों को संचालित तथा सामुदायिक शौचालय को साफ रखना।	
✓ स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए सफाई गतिविधियों के दौरान ग्लव्स व मास्क का प्रयोग करना।	
✓ सामुदायिक शौचालय में चोरी को रोकना एवं परिसर को व्यवस्थित रखना।	

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

15.7.20

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांकः— तदैव।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलीय उप निदेशक (पं0), उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार)
विशेष सचिव।

Amit Sri.

Scanned by CamScanner

7— स्वयं सहायता समूह एवं कर्मचारियों की भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियाँ :—

स्वयं सहायता समूहः

✓ संचालन एवं रख—रखाव और सुविधाओं का देखभाल।

✓ पहले आओ—पहले पाओ के आधार पर नियम का प्रयोग करें।

✓ सफाई सामग्री और उपकरण उपलब्ध कराना।

✓ शिकायत रजिस्टर को बनाए रखना।

सफाई कर्मी की भूमिकाः

✓ दिन—प्रतिदिन की सफाई गतिविधियों को संचालित तथा सामुदायिक शौचालय को साफ रखना।

✓ स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए सफाई गतिविधियों के दौरान ग्लव्स व मास्क का प्रयोग करना।

✓ सामुदायिक शौचालय में चोरी को रोकना एवं परिसर को व्यवस्थित रखना।

सफाई शेड्यूलः

✓ दिन में दो बार

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या व दिनांकः— तदैव।</u>

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलीय उप निदेशक (पं0), उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार)
विशेष सचिव।

Amit Sri.

Scanned by CamScanner

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः–5/05 /2022–5/127/2018 SBM(G) लखनऊ दिनांकः 06 जनवरी, 2022

विषयः–स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) योजनान्तर्गत निर्मित सामुदायिक शौचालयों को खोले जाने हेतु समय निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत ही हैं कि स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) फेज–2 योजनान्तर्गत प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण तथा उनका व्यवस्थित रख–रखाव किया जाना भारत सरकार एवं राज्य सरकार के प्राथमिकता का विषय है। जिसके अनुपालन में शासनादेश संख्या–988/33–3–2020/2019 दिनांक 22 मई, 2020 के माध्यम से सामुदायिक शौचालय के निर्माण हेतु विस्तृत निर्देश निर्गत किये गये थे तथा शासनादेश संख्या–1758/33–3–2020–31/2019 दिनांक 15 जुलाई, 2020 के माध्यम से इन शौचालयों के रख–रखाव हेतु की गई व्यवस्था के विस्तृत निर्देश भी निर्गत किये गये थे। जिसके क्रम में सामुदायिक शौचालयों के निर्माण एवं उनके रख–रखाव पर एक बड़ी धनराशि व्यय की जा रही है। यह अत्यन्त आवश्यक हैं कि सामुदायिक शौचालय का निर्माण के उद्देश्य एवं उन पर व्यय की जा रही धनराशि की सार्थकता सुनिश्चित की जाये।

उच्च स्तर पर यह तथ्य संज्ञान में आया है कि कतिपय ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों को उचित समय पर नहीं खोला जाता है, जिससे ग्रामीणवासियों को समस्या उत्पन्न होती है।

अतः इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) योजनान्तर्गत निर्मित सामुदायिक शौचालयों को प्रातः 05:00 बजे से 10:00 बजे तक तथा सायं 04:00 बजे से 08:00 बजे तक अनिवार्य रूप से खोला जाये। साथ ही यदि आवश्यकता हो तो स्थानीय प्रयोग के दृष्टिगत उक्त निर्धारित समय के बाद भी खुला रखा जा सकता है। तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(अनुज कुमार झा)
मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),उ0प्र0।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
5. समस्त मण्डलीय उप निदेशक(पं0), उ0प्र0।

मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),उ0प्र0।